

[भारत के राज-पत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नयी दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त, 2019

सा. का. नि. __ (अ).- भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 29 मार्च, 2019, जिसे सा.का.नि. 256(अ) दिनांक 29 मार्च, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में, -

(क) पृष्ठ 83 पर, पंक्ति 6 में "FORM GST ITC- 03" के स्थान पर "FORM GST DRC- 03 पढ़ें"; और

(ख) पृष्ठ 90 पर, पंक्ति 26 में "FORM GST ITC- 03" के स्थान पर "FORM GST DRC- 03 पढ़ें";

[फा.सं..354/32/2019-टीआरयू]

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार